

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक:- प.1(ग)(क)/एस.एम.ई./डी.एल.बी./18/3989

दिनांक:-17/5/18

-: आदेश :-

- राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय तथा फायरमैन संवर्ग के निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र.स.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहां से	कहां को
1	श्री नितिश भारद्वाज	सहायक अग्निशमन अधिकारी	जोधपुर	चौमु
2	श्री सोहेल शेख	राजस्व निरीक्षक	भीलवाडा	आबूरोड
3	श्री श्रवण राम	राजस्व निरीक्षक	बिलाडा	निम्बाहेडा
4	श्री वीरेन्द्र पंवार	राजस्व निरीक्षक	निम्बाहेडा	बिलाडा
5	श्री महेन्द्र गायरी	कनिष्ठ लेखाकार	बेगू	फतेहनगर
6	श्री प्रेम प्रकाश अरोडा	कनिष्ठ लिपिक	अनूपगढ	सगरिया
7	श्री अजय सांगेला	कनिष्ठ लिपिक	ब्यावर	आसीन्द
8	श्री अमित कुमार मेनिया	कनिष्ठ लिपिक	सूरजगढ	विजयनगर (अजमेर)
9	श्री पवन कुमार	कनिष्ठ लिपिक	सरदारशहर	तारानगर
10	श्रीमती नीतू मांडेया	कनिष्ठ लिपिक	भिवाडी	किशनगढबास
11	श्री संजीव कुमार सिंघल	कनिष्ठ लिपिक	पीलीबंगा	चौमु
12	श्री शान्ति लाल चरपोटा	फायरमैन	प्रतापगढ	बांसवाडा
13	श्री भंवर सिंह चौहान	फायरमैन	राजसमन्द	चित्तौडगढ
14	श्री मनोज राव	ड्राईवर	प्रतापगढ	निम्बाहेडा

उक्त कर्मचारीयो को तुरन्त कार्यमुक्त कर पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करवाये।

नोट:-

1. स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावे अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
2. स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हें वेतन का भुगतान किया जावे।

क.प.उ.

3. यदि कोई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/सविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अदगत करावे।
4. यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
5. कर्मचारी को पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं कराया गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जाये।

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त
शासन सचिव

क्रमांक:- प.1(ग)()का/एस.एम.ई./डी.एल.बी./18/3990-404 दिनांक:-17/5/18

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
3. उप निदेशक (क्षै0) स्थानीय निकाय विभाग जयपुर/अजमेर/कोटा/
बीकानेर/उदयपुर /जोधपुर/भरतपुर।
4. माहापौर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिकाारी अधिकारी/नगर निगम/
नगर परिषद/पालिका.....।
5. श्री..... पद..... नगर पालिका.....।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(अलका मीणा)

उप निदेशक (प्रशासन)